



Witness No----03-----for--- --- **बचाव साक्ष्य** Deposition taken on

the - ११-०९-२०२३----day of .. सोमवार -Witness apparent age-- 43 **year**

States on affirmation---शपथ पूर्वक---My name is— इमाम अहमद

Son of – श्री अब्दुल गनी --**occupation.** प्रॉपर्टी डीलिंग

Address – रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

//मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री किशोर मिश्रा, अधिवक्तता वास्ते परिवादी//

१. मैं आरोपी चांद अहमद को जानता हूँ, वह मेरा भाई हैं। मैं परिवादी गौकरण को जानता हूँ, वह बाबुल यादव के यहां काम करता हैं। मार्च २०१७ की बात है मैं, चांद अहमद, सतीश सेन एवं बाबुल यादव के ऑफिस गये थे। सतीश सेन एवं चांद अहमद के बीच पैसे का कुछ लेन-देन हुआ था। सतीश सेन को पैसे की आवश्यकता थी तो सतीश सेन को बाबुल यादव ने ३,००,०००/-रुपये नगद प्रदान किया तथा एक चैक सतीश सेन से प्राप्त किया और बतौर गैरेंटी एक चैक चांद अहमद से लिया था, जिसका चैक क्रमांक २०८२७४ यूनाईटे बैंक ऑफ इंडिया पण्डरी शाखा का था। उक्त चैक जो चांद अहमद ने बाबूल यादव को प्रदान किया था, वह चैक कोरा था, जिसमें केवल चांद अहमद ने अपने हस्ताक्षर किये थे, जिसमें कोई भी राशि नहीं भरी गयी थी और ना ही किसी का नाम लिखा था।

२. मुझे चांद अहमद ने एक-डेर वर्ष पूर्व बताया कि बाबुल यादव ने चैक का दुरुपयोग कर किसी गौकरण साहू के नाम से चैक बाउंस का मामला न्यायालय में पेश कर दिया हैं। उपरोक्त बाते मैं जानता हूँ इसलिए आज मैं न्यायालय में बयान



देने आया हूँ।

टीप:- न्यायलाय समय समाप्त होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

वाचित, सत्य स्वीकृत ।

Sd/-

(अनुप तिग्गा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित।

Sd/-

(अनुप तिग्गा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर.....